मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की ओर से प्रतिलिपी क्रमांक 1283-3एस-72/4813, दिनांक 18 फरवरी, 1972
हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष इत्यादि को प्रेषित है ।

विषय :– जिला के सभी राजपत्रित अधिकारियों पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे नीति :

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपयुक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 1430-3 एस-71/5958, दिनांक 30 मार्च, 1971 की ओर दिलाऊं जिसमें और बातों के अतिरिक्त यह बताया गया था कि उपायुक्त जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में अपने रिमार्कस लिखने के लिए सक्षम है। इस संदर्भ में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के एस0 डी0 ओज0 तथा एक्स0 ई0 एनज0 (S.D.O.s & XENs) की गोपनीय रिपोर्ट पर उपायुक्त द्वारा रिमार्कस रिकार्ड करने के मामले पर भी विचार किया गया है और बिजली बोर्ड को कन्सल्ट करने के बाद यह निर्णय लिया है कि उपायुक्त ऐसे अधिकारियों की इमानदारी से सम्पर्क तथा विकास योजनाओं और सरकार की नीति को पूरा करने के काम आदि के बारे में अपने रिमार्कस संबंधित अधिकारियों और गोपनीय रिपोर्ट में लिखने की बजाए अपने विचार लिख कर सीधे चेयरमैन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को बाई नेम भेजेंगे और अधिकारियों की रिपोर्ट बिजली बोर्ड के अधिकारियों द्वारा लिखे जाने के समय उपायुक्तों के विचारों को ध्यान में रखा जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतें अनुपालन के लिये नोट कर ली जाएं और इस पत्र की पावती भेजें।